



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 455 राँची, सोमवार,

6 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप-1-178/2017-32678 (HRMS)--श्री गिरजा नन्द किस्कू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-509/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1222/गो0, दिनांक 22.09.2017 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद के पत्रांक-1295, दिनांक 19.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भ्र०नि० ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं०-27/2017 के अभियुक्त श्री गिरजा नन्द किस्कू, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा को 50,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए दिनांक 19.09.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं०-10305, दिनांक 05.10.2017 द्वारा श्री किस्कू को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 19.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

श्री किस्कू द्वारा दिनांक 21.11.2017 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 22.11.2017 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किया। श्री किस्कू द्वारा समर्पित योगदान को दिनांक 22.11.2017 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए आदेश सं०-12012, दिनांक 08.12.2017 द्वारा पुनः निलंबित किया गया ।

श्री किस्कू से प्राप्त निलंबन से मुक्त संबंधी आवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-1051(HRMS), दिनांक 24.07.2018 द्वारा इनको निलंबन मुक्त किया गया।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1550/गो0, दिनांक 01.12.2017 द्वारा श्री किस्कू के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत विभागीय संकल्प सं0-3174(HRMS), दिनांक 27.06.2019 द्वारा इनके विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

श्री किस्कू के दर्ज भ्र0नि0 ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं0-27/2017 में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-69/जे0, दिनांक 29.12.2017 द्वारा इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कांड में इनके विरुद्ध आरोप पत्र सं0-29/17, दिनांक 16.11.2017 समर्पित किया गया।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-238/स्था0, दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से श्री किस्कू द्वारा समर्पित आवेदन अग्रसारित किया गया। श्री किस्कू द्वारा अपने आवेदन के साथ Vigilance Case No. 27/2017 में श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-X, धनबाद द्वारा दिनांक 05.03.2025 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए सेवा सम्पुष्टि करने का अनुरोध किया गया।

श्री किस्कू द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि भ्र०नि० ब्यूरो थाना धनबाद केस नं0-27/2017 में इनको निर्दोष साबित करते हुए बरी (Acquitted) किया गया है।

Vigilance Case No. 27/2017 में श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-X, धनबाद द्वारा दिनांक 05.03.2025 को पारित न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है-

".....Thus in view of discussion aforesaid I find that the prosecution has miserably failed to prove the guilt of accused beyond all shadow of reasonable doubt. No offence u/s 7 and 13 (for which charge has been framed) under Prevention of Corruption Act, 1988 has been proved. Therefore, the accused is hereby ordered to be acquitted from the charge levelled against him. He and his bailors stands discharged from the liabilities of their bail bonds."

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2103, दिनांक 09.04.2025 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से पारित न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है अथवा नहीं, के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-357, दिनांक 25.06.2025 द्वारा पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि० ब्यूरो, राँची के पत्रांक-1972, दिनांक 12.06.2025 की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि पारित न्यायादेश के विरुद्ध ब्यूरो में पदस्थापित विधि परामर्शी के मंतव्य के आलोक में अपीलीय न्यायालय में ब्यूरो द्वारा अपील दायर नहीं किया गया है।

अतः माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-X, धनबाद द्वारा दिनांक 05.03.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री गिरजा नन्द किस्कू, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा का नाम आपराधिक सूची से विलोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गिरजा नन्द किस्कू, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GIRIJANAND KISKU JHK/JAS/273	श्री गिरजा नन्द किस्कू, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-509/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा का नाम आपराधिक सूची से विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646
